राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0 /2080 / 2023 दिनांकः–28 जुलाई, 2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ।

विषयः–उच्च शिक्षण संस्थानों में पढाई का माध्यम हिन्दी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0–1082 / सत्तर–1–2023 दिनांक 24 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

शासन के पत्र में दिये गये निर्देशानुसार महाविद्यालय स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

28/7

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा / अलीगढ़।
4. गार्ड फाइल।

28/07/23

सहा0 कुलसचिव

Scanned with CamScanner

संख्या– 1082 / सत्तर–1–2023

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 24 जुलाई, 2023

विषयः– उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का माध्यम हिन्दी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पत्र के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–अर्द्धशा0प0सं0–208/21–1–2023 दिनांक 28–06–2023(छायाप्रति संलग्न) के साथ संलग्न मुख्यमंत्री कार्यालय, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–8586/MS/CM/2023, दिनांक 06–03–2023 एवं संसदीय राज भाषा, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03–03–2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा 'उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का माध्यम हिन्दी में हो', के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या– 1082 (1)/सत्तर–1–2023–तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या–अर्द्धशा0प0सं0–208/21–1–2023 दिनांक 28–06–2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

General G.O. S

Scanned with CamScanner

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव ।

अर्द्धशा0प0सं0-208/21-1-2023
भाषा अनुभाग-1
लखनऊ, दिनांकः28जून, 2023

प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक 30/6/23

संख्या 851/VIPPSHED/2023

प्रिय महोदय,

कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-8586/MS/CM/2023, दिनांक 06-03-2023 के साथ संलग्न संसदीय राजभाषा समिति, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03-03-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त समिति ने मा0 मुख्यमंत्री जी के विचारार्थ कुछ बिन्दु/सुझाव रखें हैं जिनमें से बिन्दु (घ) का सम्बन्ध उच्च शिक्षा विभाग से है ।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया बिन्दु (घ) के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नकः यथोक्त ।

वि0स0 (उ)

30/06/23
(एम0 पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

भवदीय,

Signed by जितेन्द्र कुमार
Date: 21-06-2023 12:55:10
Reason: Approved

(जितेन्द्र कुमार)

श्री एम.पी.अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

3034/VS(T)/23
DS(SPM)

01.7.23
(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

80-1

03/07/23

सुश्री स्वाति
7/7/2023

Scanned with CamScanner

No.................................../MS/CM/2023

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या ....   दिनांक ....

CRCF0014123374

<u>मुख्य सचिव महोदय,</u>

कृपया श्री रामचन्द्र जांगड़ा, संयोजक, संसदीय राजभाषा पहली उप समिति, नई दिल्ली के संलग्न पत्र का अवलोकन करें। समिति द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से शासकीय कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में कतिपय सुझाव विचारार्थ प्रेषित किया गया है। यह पत्र मा0 मुख्यमंत्री जी से मिलकर दिया गया है।

कृपया समिति के सुझाव पर विचार कर शीघ्र यथोचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

06-03-2023

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
उ0 प्र0 शासन।

प्राप्त सी० एम० -2
09 MAR 2023
अन्तरित

प्राप्त सी० एम० -2
2. आई.ओ.जी.यू. यूनिट

प्र0स0, भाषा

13/03/2023
(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

US भाषा (RI)
भाषा-1
कृपया संलग्न बिन्दु पर आवश्यक ... में ...

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव
भाषा उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय
राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन
उत्तर प्रदेश शासन।

85
US(VS)/ स0-भाषा-1
20-03-2023

Scanned with CamScanner

फाइल सं. 11012/03/2022-समिति-1

दिनांक: 03.03.2023

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

महोदय,

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों को शिष्टाचार भेंट हेतुसमय देने के लिए समिति आपको धन्यवाद ज्ञापित करती है।

2. समिति आपके विचारार्थ कुछ बिन्दु/सुझाव रखना चाहती है, जो निम्नलिखित हैः-

(क). सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड में हिंदी में पढ़ाई का माध्यम हो।
(ख). सरकारी कार्यालयों में वेबसाइट द्विभाषी हों।
(ग). राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले दस्तावेज द्विभाषी हों।
(घ). उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का माध्यम हिंदी में हों।
(ड). उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग हो।

भवदीय

(रामचन्द्र जांगड़ा)
संयोजक, पहली उप समिति

Scanned with CamScanner